न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ठासीन अधिकारीः– रमेश देव (आर.ए.एस.)
करण संख्याः– 94/2021
ाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

1. गुरदेव उर्फ मोहन लाल पुत्र किशोरी लाल जाति खत्री साकिन संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–––––वादी

बनाम

1. पवन कुमार पुत्र रणजीत राय उर्फ रणजीतराम (फौत)

1/1 सुनीता बहल पत्नी पवन कुमार 1/2 नवनीत बहल 1/3 मयंक बहल	पि. पवन कुमार	जाति खत्री सा. 1/427 विधाधर नगर सैक्टर 1 जयपुर

2. अरूण बहल पुत्र रणजीत राय उर्फ रणजीतराम (फौत)

2/1 दीप्ति बहल पत्नी अरूण बहल 2/2 शान्तनु बहल 2/3 अर्शदीप बहल	पि. अरूण बहल	मार्फत जयशिव सैनिटेशन प्लाट नम्बर 14 सैक्टर नं. 6 पावर हाउस रोड़ चूना फाटक हनुमानगढ़ जं. तह व जिला हनुमानगढ़।

3. जितेन्द्र कुमार पुत्र रणजीत राय उर्फ रणजीत राम जाति खत्री साकिन विनोबा बस्ती मकान नम्बर 575 श्रीगंगानगर तह.व जिला श्रीगंगानगर
4. सुनेना उर्फ सुनयना नागपाल पुत्री रणजीतराय उर्फ रणजीतराम जाति खत्री सा. Z140 अग्रसैन नगर 2nd Scheeme क्रश होटल के पास श्री गंगानगर तह. व जिला श्रीगंगानगर
5. कुसुमलता पत्नी रणजीत राय उर्फ रणजीत राम जाति खत्री साकिन मकान नम्बर 575 श्रीगंगानगर तह.व जिला श्रीगंगानगर
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–––––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एडवोकेट– वादी

निर्णय दिनांक :– 14.6.2023

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता/पति रणजीत राय उर्फ रणजीत राम पुत्र सुन्दर राम के नाम चक 4 एमजेडी ता संख्या 90/85 खाता हजारी वगैरा ज.स. 2070–2073 में सांझा खाता में 2.542 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न है। दावा की दफा में 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी रणजीत उर्फ रणजीत राम पुत्र सन्दुर राम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि फौत हो गये है जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही है। जो कि रणजीतराय उर्फ रणजीतराम पुत्र सुन्दर राम के नाम दर्ज आराजी के बहिब के हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने पिता/पति के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी मे से उक्त चक 4 एमजेडी के प.न. 166/186 मु.न. 31 किला नं. 21/0.253 पं.न. 165/186 मु.न. 32 किला नं. 16,25/0.228 प्र. गै.मु./0.050, 17,24/0.253 प्र. पं.न. 165/187 मु.न. 35 किला नं. 4/0.228 5/0.202, 6/0.228 गै.मु./.101 तथा पं.न. 166/187 मु.न. 36 किला नं. 1/0.228 10/.253 गै.मु./0.025 इस प्रकार कुल 2.530 है. यानि 10 बिघा आराजी मुताबिक कब्जाकाश्त जरिये रिजस्ट्रड तबादलानामा दिनांक 12.02.1975 को मुताबिक तबादलानामा वादी के पक्ष मे बरोबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवा उप पंजीयक सूरतगढ़ से पंजीयत करवा दिया था तथा उक्त आराजी के तबादला में वादी के नाम दर्ज चक 11 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ की 15 बिघा आराजी मुताबिक रजिस्ट्रड तबादलानामा दिनांक 12.02.1975 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने प्राप्त कर ली है। उक्त रजिस्ट्रड तबादलानामा दिनांक 12.02.1975 की फोटोप्रति संलग्न है। उक्त तबदला मुताबिक दावा की दफा 2 में दर्ज 4 एमजेडी की उक्त आराजी मे से 2.530 है. आराजी यानि 10 बिघा आराजी का वादी हकदार

14/6

उक्त आराजी में रणजीत राय उर्फ रणजीत राम पुत्र सुन्दर राम के फौत होने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः प्रतिवादी संख्या ता 5 के पिता/पति रणजीत राय उर्फ रणजीत राम पुत्र सुन्दर राम के नाम दर्ज आराजी मे से 2.530 है. यानि 10 बिघा आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त अराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवारीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है।

अतः लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 4 एमजेडी खाता संख्या 90/85 खाता हजारी वगैश्रा ज.स. 2070–73 में सांझा खाता में रणजीत राम उर्फ रणजीत राय पुत्र सन्दर राम के नाम दर्ज 2.542 है. आराजी मे से 2.530 है. यानि 10 बिघा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमलदारामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता मे से रणजीत राम उर्फ रणजीत राय पुत्र सुन्दर राम का 2.530 है. हिस्सा कम किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/समाचार पत्र से तलब किया गया। उक्त प्रतिवादीगण उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल तावली किया गया।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 4 एमजेडी खाता संख्या 90/85 खाता हजारी वगैरा संवत 2070–2073 प्रदर्श 1 एव तबादलानामा दिनांक 12.02.1975 उप पंजीयक सूरतगढ से पंजीयत की प्रति प्रदर्श 2 एवं जमाबन्दी चक 11 एस.जी.एम. खाता संख्या 32/32 खाता अरूण कुमार वगैरा की फोटो प्रति आदि पेश किये तथा साक्ष्य वादी में वादी गुरदेव उर्फ मोहन लाल पुत्र किशोरी लाल जाति खत्री साकिन संगरिया का शपथ पत्र पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। तथा खाता विवादित श्रेणी का होने के कारण तहसीलदार संगरिया से कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक प्रा0डि0/भू–अ0/023/01 दिनांक 12.06.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की।

बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई। वादी अभिभाषक ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि वादग्रस्त आराजी चक 4 एमजेडी खाता संख्या 90/85 में दर्ज 2.542 है0 कृषि भूमि जो मृतक रणजीतराम वल्द सुन्दरराम के नाम से दर्ज है लगभग 47–48 वर्षो से वादी का निर्विवाद कब्जा काश्त है जो तहसीलदार संगरिया रिपोर्ट से साबित हो रहा है। इसलिए आज तक कोई नामान्तरण दर्ज नही हुआ आज भी भूमि रणजीतराम वल्द सुन्दरराम के नाम चली आ रही है एवं न ही मृतक रणजीतराम वल्द सुन्दरराम के वारिसानों ने कभी उसे बेदखल करने का प्रयास किया है। तथा वादी के निरन्तर काबिज होने से वादी उक्त आराजी की घोषणा अपने नाम से करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र का कोई विरोध न्यायालय के समक्ष नही आया है। इस लिए वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक अनुतोष अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में जारी की जावे व मृतक रणजीत राम उर्फ रणजीत राय के वारिसान प्रतिवादीगणों का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे।

वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया व वादी अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा इस कथन के साथ वाद पत्र पेश किया गया है कि जमाबंदी चक 4 एमजेडी खाता संख्या 90/85 खाता हजारी वगैरा संवत 2070–2073 प्रदर्श 1 में दर्ज 2.542 है0 आराजी जो मृतक रणजीतराम वल्द सुन्दरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह उस पर लगभग 47–48 वर्षो से लगातार निर्विवाद रूप ये काबिज होकर काश्त कर रहा है उक्त आराजी का उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व मृतक रणजीतराम उर्फ रणजीतराय के वारिसानों ने जरिये तबादलानामा दिनांक 12.02.1975 में

14/6

दी के नाम दर्ज चक 11 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ की 15 बीघा आराजी मुताबिक जिस्टर्ड तबादलानामा प्राप्त कर ली है इसलिए मृतक रणजीत राम उर्फ रणजीतराय /वारिसानों का नाम उक्त खाते से कलमजन किया जावे, मृतक रणजीत राम उर्फ रणजीतराय/वारिसानों द्वारा उसे बेदखल करने का कभी प्रयास नही किया है। दिनांक तबादलानामा दिनांक 12.02.1975 प्रदर्श 2 में भी वादी गुरदेव उर्फ मोहन लाल का नाम दर्ज है जिससे वादी का मौके पर कब्जा काश्त साबित हो रहा है। उपरोक्त तथ्यों से वादी का वाद पत्र पूर्णतः वादी के पक्ष में साबित हो रहा है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष/तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है तथा वादी गुरदेव उर्फ मोहनलाल पुत्र किशोरी लाल जाति खत्री सा.संगरिया को जमाबंदी चक 4 एमजेडी खाता संख्या 90/85 संवत 2070–2073 में मृतक रणजीतराम वल्द सुन्दरराम कौम खतरी सा. गंगानगर के नाम से दर्ज समस्त 2.542 है0 आराजी मे से 2.530 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाते से मृतक रणजीतराम वल्द सुन्दरराम का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट मुताबिक निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

चक 4 एमजेडी खाता सं0 110/85

1. गुरदेव सिंह उर्फ मोहनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति खत्री सा0 संगरिया की कब्जा काश्त का विवरण:–165/186 मु.न. 32 का कि.न.16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.025 गै.मु. खाला, 17–24/0.506 नहरी, 25/1/0.228 नहरी, 25/2/0.025 गै.मु.खाला, 166/186 मु.न. 31 कि.न. 21/0.253 नहरी, 165/187 मु.न. 35 का कि.न. 4/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु.खाला 5/1/0.202 नहरी, 5/2/0.051 गै.मु.खाला, 6/0.228 नहरी, 6/2/0.025 गै.मु.खाला, 166/187 मु.न. 36 का कि.न. 1/0.228 नहरी, 1/2/0.025 गै..मु.खाला 10/0.253 नहरी, 2.354 है0 नहरी, 0.176 है0 गै.मु.खाला कुल 2.530 है0 नहरी मय गै.मु.खाला।
2. आदुराम, गुडीदेवी, निर्मलादेवी, हंसराज, हीरादेवी पि0 किशनाराम बहिव 1/4 हि0, रामकुमार, संदीप, मायादेवी पि0 दौलाराम बहिव 1/4 हि0, बलराम, देवीलाल, भागीरथ, चन्द्रपाल, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, रेशमादेवी, कलावतीदेवी, पि0 बहादर बहिव 8/9 हि0, रूकमादेवी पत्नि रणजीत, रोहताश, मांगीलाल, रानीदेवी, कविता पि0 रणजीत पुत्र बहादर बहिव 1/9 हि0 दर 1/4 हि0 साहबराम, बृजलाल, किस्तूरी, चावलीदेवी, दीपो, संतोदेवी, शारादादेवी पि0 हजारी बहिव 7/8 हि0, गीतादेवी पत्नि हरीराम, मांगीलाल, सुमन पि0 हरीराम पुत्र हजारी बहिव 1/8 हि0 दर 1/4 हि0 जाति सुथार सा0 नाथवाना 165/186 मु.न. 32 का कि.न. 18–19/0.506 नहरी, 20/1/0.215 नहरी, 20/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 21/1/0.215 नहरी, 21/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 22–23/0.506 नहरी, 164/186 मु.न. 33 का कि.न. 16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.25 गै.मु.खाला, 17–23–24/0.759 नहरी, 25/1/0.228 नहरी, 25/2/0.025 गै.मु.खाला, 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 3/1/0.228 नहरी, 3/2/0.025 गै.मु.खाला 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु.खाला, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै.मु.खाला, 6–7–8–13–14–15–16/1.771 नहरी, 165/187 मु.न. 35 का कि.न. 1/1/0.190 नहरी 1/2/0.025 गै.मु.खाला, 1/3/0.038 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.228 नहरी, 2/2/0.025 गै.मु.खाला, 3/1/0.228 नहरी, 3/2/0.025 गै.मु.खाला, 7–8–9/0.759 नहरी, 10/1/0.215 नहरी, 10/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 11/1/0.215 नहरी, 11/2/0.038 गै.मु.रास्ता 12–13/0.506 नहरी, 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 गै.मु. खाला, नहरी–7.681 है0, गै.मु.रास्ता– 0.190 है0, गै.मु.खाला– 0.228 है0 कुल–8.096 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता एवं खाला।

14/6

उपखण्ड अधिकारी (SDO)

चक 4 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 110/85 में प.न.164/187 मु.न. 34 का कि.न. 1/2/0.025 गै.मु.खाला सहवन से उक्त खाता में दर्ज हो गया क्योंकि चक 4 एमजेडी के जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के खाता सं0 40/23 में 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 1/0.228 नहरी व 54/25 0.025 के0 गै.मु. खाला दर्ज रिकार्ड था लेकिन अगले सम्वत 2070–73 की जमाबन्दी बनाते समय खाता सं0 91/40 में 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 1/1/0.228 नहरी दर्ज हुआ लेकिन इसी पत्थर का कि.न. 1/2/0.025 गै.मु.खाला सहवन से खाता नं0 110/85 में दर्ज हो गया जो कि खाता सं0 91/40 में ही दर्ज होना चाहिये। गत जमाबन्दी 2066–69 के खाता सं0 85/62 में प.न. 164/187 मु.न. 34 कि.न. 5/0.228 नहरी, 54/19/0.025 गै.मु. खाला दर्ज रिकॉर्ड था लेकिन नयी जमाबन्दी बनाते समय सहवन से प.न. 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 5/1/0.228 नहरी खाता नं0 41/35 में व कि.न. 5/2/0.25 गै.मु.खाला खाता नं0 91/40 में दर्ज हो गया जिसे खाता नं. 110/85 में दर्ज करना उचित होगा।

अतः पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/2023

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तिम डिक्री

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6–7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 94/2021

1. गुरदेव उर्फ मोहन लाल पुत्र किशोरी लाल जाति खत्री साकिन संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

------वादी

बनाम

1. पवन कुमार पुत्र रणजीत राय उर्फ रणजीतराम (फौत)
1/1 सुनीता बहल पत्नी पवन कुमार
1/2 नवनीत बहल
1/3 मयंक बहल
पि. पवन कुमार
जाति खत्री सा. 1/427 विधाधर नगर सैक्टर 1 जयपुर

2. अरूण बहल पुत्र रणजीत राय उर्फ रणजीतराम (फौत)
2/1 दीप्ति बहल पत्नी अरूण बहल
2/2 शान्तनु बहल
2/3 अर्शदीप बहल
पि. अरूण बहल
मार्फत जयशिव सैनिटेशन प्लाट नम्बर 14 सैक्टर नं. 6 पावर हाउस रोड़ चूना फाटक हनुमानगढ़ जं. तह व जिला हनुमानगढ़।

3. जितेन्द्र कुमार पुत्र रणजीत राय उर्फ रणजीत राम जाति खत्री साकिन विनोबा बस्ती मकान नम्बर 575 श्रीगंगानगर तह.व जिला श्रीगंगानगर

4. सुनेना उर्फ सुनयना नागपाल पुत्री रणजीतराय उर्फ रणजीतराम जाति खत्री सा. Z140 अग्रसैन नगर 2nd Scheeme क्रश होटल के पास श्री गंगानगर तह. व जिला श्रीगंगानगर

5. कुसुमलता पत्नी रणजीत राय उर्फ रणजीत राम जाति खत्री साकिन मकान नम्बर 575 श्रीगंगानगर तह.व जिला श्रीगंगानगर

6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

दिनांक :– 14.6.2023

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती हैः–

चक 4 एमजेडी खाता सं0 110/85

2. गुरदेव सिंह उर्फ मोहनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति खत्री सा0 संगरिया की कब्जा काश्त का विवरणः–165/186 मु.न. 32 का कि.न.16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.025 गै.मु. खाला, 17–24/0.506 नहरी, 25/1/0.228 नहरी, 25/2/0.025 गै.मु.खाला, 166/186 मु.न. 31 कि.न. 21/0.253 नहरी, 165/187 मु.न. 35 का कि.न. 4/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु.खाला 5/1/0.202 नहरी, 5/2/0.051 गै.मु.खाला, 6/0.228 नहरी, 6/2/0.025 गै.मु.खाला, 166/187 मु.न. 36 का कि.न. 1/0.228 नहरी, 1/2/0.025 गै..मु.खाला 10/0.253 नहरी, 2.354 है0 नहरी, 0.176 है0 गै.मु.खाला कुल 2.530 है0 नहरी मय गै.मु.खाला।

3. आदुराम, गुडीदेवी, निर्मलादेवी, हंसराज, हीरादेवी पि0 किशनाराम बहिब 1/4 हि0, रामकुमार, संदीप, मायादेवी पि0 दौलाराम बहिब 1/4 हि0, बलराम, देवीलाल, भागीरथ, चन्द्रपाल, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, रेशमादेवी, कलावतीदेवी, पि0 बहादर बहिब 8/9 हि0, रूकमादेवी पत्नि रणजीत, रोहताश, मांगीलाल, रानीदेवी, कविता पि0 रणजीत पुत्र बहादर बहिब 1/9 हि0 दर 1/4 हि0 साहबराम, बृजलाल, किस्तूरी, चावलीदेवी, दीपो,

14/06

(SDO)
नगरिया

संतोदेवी, शारादादेवी पि0 हजारी बहिब 7/8 हि0, गीतादेवी पत्नि हरीराम, मांगीलाल, सुमन पि0 हरीराम पुत्र हजारी बहिब 1/8 हि0 दर 1/4 हि0 जाति सुथार सा0 नाथवाना 165/186 मु.न. 32 का कि.न. 18–19/0.506 नहरी, 20/1/0.215 नहरी, 20/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 21/1/0.215 नहरी, 21/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 22–23/0.506 नहरी, 164/186 मु.न. 33 का कि.न. 16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.25 गै.मु.खाला, 17–23–24/0.759 नहरी, 25/1/0.228 नहरी, 25/2/0.025 गै.मु.खाला, 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 3/1/0.228 नहरी, 3/2/0.025 गै.मु.खाला 4/1/0.228 नहरी, 4/2/0.025 गै.मु.खाला, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 गै.मु.खाला, 6–7–8–13–14–15–16/1.771 नहरी, 165/187 मु.न. 35 का कि.न. 1/1/0.190 नहरी 1/2/0.025 गै.मु.खाला, 1/3/0.038 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.228 नहरी, 2/2/0.025 गै.मु.खाला, 3/1/0.228 नहरी, 3/2/0.025 गै.मु.खाला, 7–8–9/0.759 नहरी, 10/1/0.215 नहरी, 10/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 11/1/0.215 नहरी, 11/2/0.038 गै.मु.रास्ता 12–13/0.506 नहरी, 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 गै.मु. खाला, नहरी–7.681 है0, गै.मु.रास्ता– 0.190 है0, गै.मु.खाला–0.228 है0 कुल–8.096 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता एवं खाला।

चक 4 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 110/85 में प.न.164/187 मु.न. 34 का कि.न. 1/2/0.025 गै.मु.खाला सहवन से उक्त खाता में दर्ज हो गया क्योंकि चक 4 एमजेडी के जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के खाता सं0 40/23 में 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 1/0.228 नहरी व 54/25 0.025 ळे0 गै.मु. खाला दर्ज रिकार्ड था लेकिन अगले सम्वत 2070–73 की जमाबन्दी बनाते समय खाता सं0 91/40 में 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 1/1/0.228 नहरी दर्ज हुआ लेकिन इसी पत्थर का कि.न. 1/2/0.025 गै.मु.खाला सहवन से खाता नं0 110/85 में दर्ज हो गया जो कि खाता सं0 91/40 में ही दर्ज होना चाहिये। गत जमाबन्दी 2066–69 के खाता सं0 85/62 में प.न. 164/187 मु.न. 34 कि.न. 5/0.228 नहरी, 54/19/0.025 गै.मु. खाला दर्ज रिकॉर्ड था लेकिन नयी जमाबन्दी बनाते समय सहवन से प.न. 164/187 मु.न. 34 का कि.न. 5/1/0.228 नहरी खाता न0 41/35 में व कि.न. 5/2/0.25 गै.मु.खाला खाता नं0 91/40 में दर्ज हो गया जिसे खाता नं. 110/85 में दर्ज करना उचित होगा।

अतः तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांकः–प्रा.डिक्री/भू.अ./01 दिनांक 12.06.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ✗ मुब्लिक ✗ बाबत ✗ खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ✗ को अदा करे।

बसवा मेरे दरतखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.6.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

14/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official